संख्या-24/2016/ 2092सी0डी0/46-3-16-1000(44)/2007

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष **2016-17** में अनुदान संख्या**-23(**आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से, मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, मुजफ्फर नगर को अनुमन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु, प्राविधानित धनराशि **रू0** 1325 हजार की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष **2016-17** में, अनुदान संख्या**-23 (**आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, मुजफ्फर नगर को, दिनांक 21.09.2015 से दिनांक 20.09.2016 तक की अवधि हेतु, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1 (विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 में अनुमन्य सुविधाओं के भुगतान के लिए, लेखाशीर्षक**-2401**, फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि **रू0 13,25000/- (रू0 तेरह लाख पचीस हजार मात्र)** को, भुगतान किये जाने की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-1** के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016** एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-20/2016/बी-**2 1275**/दस-2016-2**44**/2016 दिनांक 2**9 **अगस्त, 2016** में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन एवं आवंटित एवं वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं वित्त विभाग एवं महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को नियमित रूप से उपलब्ध कराने तथा लेखाओं का नियमित/त्रैमासिक मिलान, महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से अवश्य कराया जाय। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व विभागीय वित्त नियंत्रक का होगा।

---------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके ।

5- वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

6- मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, मुजफफर नगर को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1 (विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में अनुमन्य सुविधाओं के अनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

7- उपर्युक्त व्यय चालू **वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23(आयोजनेत्तर) के अधीन लेखा शीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म**-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उ0प्र0 गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, मुजफफर नगर-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2016/ 2092(1)सी0डी0/46-3-16-1000(44)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, मुजफफर नगर
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in